मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

भोपाल, दिनांक / /2026

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गांधी नरेगा)
   जिला- समस्त, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गांधी नरेगा)
   जिला पंचायत- समस्त, मध्यप्रदेश।

विषय: महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत प्रगतिरत कार्यो की पूर्णता विषयक।

संदर्भ: भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय का पत्र No. J-11060/03/2026-RE-VI कर्तव्य भवन-2, नई दिल्ली, दिनांक 24 फरवरी 2026

भारत सरकार के संदर्भित पत्रानुसार प्रदेश में प्रगतिरत कार्यों को समय सीमा में पूर्ण कराए जाने हेतु एडवायजरी जारी की गयी है। प्रदेश में नरेगा साफ्ट की रिपोर्ट अनुसार 9.73 लाख कार्य प्रगतिरत प्रदर्शित हो रहे हैं। प्रगतिरत कार्यों (पौंधारोपण के अतिरिक्त) की प्रकृति के आधार पर निम्न तालिका में उल्लेखित समय-सीमा अनुसार कार्यो को पूर्ण किया जा सकता है।

श्रेणी	कार्य का नाम	समय सीमा
1	Well Recharge, Construction of NADEP/Vermi Compost Pit, Repaire and Maint of NADEP/Vermi Compost Pit, Repair & Maint of Bund, Construction of Recharge Pits, Solid and Liquid Waste Management, Construction of Crematorium, Roof Water Harvesting on gov/panchavat bldg., Construction of Toilets, Construction of Village Haats, Construction of Kitchen Shed, Lining of Canal, Renovation of Canal, Repair & Maint of Canal, Underground Dyke for Ground Water Recharge, Bio-Fertilizer, Bio-gas plant, Repair & maint of Gully Plugs, Construction of Gabion, Boulder Check/Gully Plug	31 मार्च 2026
2	Farm Pond, Constr of Cement Concrete Roads, Community Sanitary Complex, Construction of Water Drain/Diversion Channel/Drainage/Field Channel, Works for Flood Control and Protection, Cattle Shed, Poultry Shelter, Goat Shelter, Piggery Shelter, Constr of Compound wall, Repair & maint of Water Harvesting Structures, Repair & Maint of Check Dam/Stop Dam, Constr of Food Grain storage, Construction of Play field, Repair & maint of Road, Repair & maint of Percolation Tank, Construction of Embankment, Repair & Maint of Community infrastructure, Construction of Canal, Land Development, Construction of Fish Drying Infrastructure, Construction of Spur, Deepening / Desilting of Flood Channels, Repair & Maint of Fish Drying Infrastructure, Lift Irrigation, Strengthening of Embankment, Fish Culture, Other Works.	30 अप्रैल 2026
3	Rural Housing, Construction of Tank, Construction of Bund, Construction of Percolation Tank, Construction of Trench, Repair & maint of Pond/ Tank, Construction of Road and Culvert, Terracing, Nursery Development, Renovation of traditional water bodies, Water Converation – Others, Construction of Check Dam/Stop Dam, Construction of Well, Grass Land Development, Construction of Aganwadi, Constr of GP Bhawan, Construction of building/workshed for SHG, Construction of Other Community Building/Assets.	30 जून 2026

उक्तानुसार तालिका में उल्लेखित कार्यों व उनकी पूर्णता हेतु समय सीमा का जिलावार विवरण **परिशिष्ट-1** में संलग्न है। उक्त सूची जिला स्तरीय समिति के सहयोग हेतु प्रदान की जा रही है। उक्तानुसार कार्यों को मजदूरों की उपलब्धता एवं कार्य की उपयोगिता अनुसार निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराये जाने हेतु प्रयास किए जाएं।

उक्त कार्यों को समय सीमा में पूर्ण कराने हेतु भारत सरकार के संदर्भित पत्र में उल्लेखित मानद का निम्नानुसार पालन किया जाए :-

1. **कार्यों पर व्यय अनुसार समय सीमा में पूर्णता हेतु कार्यवाही -**

1.1 **<u>शून्य व्यय वाले कार्य</u>**- यदि कार्य अप्रारंभ है एवं व्यवहारिक नहीं है, उक्त कार्यों का कारण सहित प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत कर सक्षम स्वीकृति उपरांत NREGA Soft में "Closed" अंकित किये जाए।

1.2 **<u>शून्य से 30% व्यय वाले कार्य:-</u>**

क. कार्यों का तकनीकी साध्यता एवं परिणाममूलक विश्लेषण सहित भौतिक सत्यापन व परीक्षण किया जाए। यदि कार्य उपयोगी एवं पूर्ण करने योग्य हो तो स्वीकृत प्राक्कलन अनुसार समय-सीमा में पूर्ण कराया जाए।

ख. कार्य की साध्यता न होने की स्थिति में :-

1) यदि कार्य उपयोगी रहा है, तो जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा सहित नरेगा साफ्ट में "Complete" श्रेणी में अंकित किये जाने के पूर्व राज्य स्तर पर अनुशंसा हेतु प्रस्तावित किया जाए।

2) यदि कार्य अव्यवहारिक/अनुपयोगी हो तो जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा सहित नरेगा साफ्ट में "Closed" श्रेणी में अंकित किये जाने के पूर्व राज्य स्तर पर अनुशंसा हेतु प्रस्तावित किया जाए।

उक्त कार्यों को नरेगा साफ्ट में "Complete" अथवा "Closed" श्रेणी में प्रविष्टि करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि शत-प्रतिशत कार्यों का जनपद स्तरीय अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया हो, जियो टेग, छायाचित्र व पर्याप्त साक्ष्य सहित दस्तावेजीकरण किया गया हो, ग्रामसभा से संकल्प पारित किया गया हो, कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा द्वारा जिला स्तरीय समिति के समक्ष अनुशंसा प्रेषित की गई हो, जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया हो, उक्त राज्य के विषय में राज्य स्तर से अनुशंसा की गई हो।

3) यदि कार्यों के क्रियान्वयन में अनियमितता पाई जाती है, तो आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं संबंधित से वसूली की कार्यवाही की जाए।

1.3 **<u>30% से अधिक व्यय वाले कार्य</u>** – इस प्रकार के सभी प्रगतिरत कार्यो का भौतिक सत्यापन कराया जाए। भौतिक सत्यापन के दौरान-

क. यदि कार्य व्यवहार्य और आवश्यक पाया जाता है, तो कार्य के प्राक्कलन व उचित प्रक्रिया के अनुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए तथा कार्य भौतिक रूप से पूरा होने के उपरांत नरेगा सॉफ्ट में प्रविष्टि की जाए।

ख. यदि कार्य को आगे निष्पादित करना अव्यवहार्य पाया जाता है, तो उचित प्रक्रिया के अनुसार नरेगा साफ्ट में "Complete" अथवा "Closed" श्रेणी में प्रविष्टि हेतु चिन्हित किया जाए। ऐसे प्रकरणों में, उत्तरदायित्व की जांच की जाए और यदि आवश्यक हो, तो वसूली और अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

1.4 उपरोक्त तीनों श्रेणी (शून्य व्यय, शून्य से 30 प्रतिशत व्यय तथा 30 प्रतिशत से अधिक व्यय) के कार्यो को पूर्ण करने एवं बंद करने (Complete अथवा Closed) हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :-

क. जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण किया जावे।

ख. प्रत्येक कार्य की जियो टेग फोटोग्राफ्स एवं साक्ष्य सहित दस्तावेजीकरण करना।

ग. ग्रामसभा से प्रस्ताव एवं अनुमोदन।

घ. कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा जिला स्तरीय समिति को प्रारूप भेजना।

ङ. जिला स्तरीय समिति का निर्णय।

च. राज्य स्तरीय सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना।

2. पौधारोपण के कार्यों में पौधों के उत्तरजीवितता/कार्यों की पूर्णता की समयावधि अनुसार समीक्षा कर कार्यों की पूर्णता संबधी कार्यवाही की जाए।
3. प्रगतिरत कार्यों में जानबूझकर देरी, लापरवाही, कुप्रबंधन, राशि का अनुचित उपयोग अथवा अव्यवहार्य कार्यों के निष्पादन के प्रकरणों की जांच कर जिम्मेदारी का निर्धारण करते हुए आवश्यकता पड़ने पर वसूली और अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।
4. सामाजिक अंकेक्षण के दौरान कार्य की पूर्णता, कार्य को क्लोज करने और वसूली संबंधी कार्रवाइयों का सत्यापन किया जाए।
5. **जिला स्तरीय समिति का गठन एवं उसकी भूमिका-**

5.1 - जिला स्तरीय समिति का निम्नानुसार गठन किया जाए-

पद का नाम	दायित्व
कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गांधी नरेगा)	अध्यक्ष
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला पंचायत/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वय (महात्मा गांधी नरेगा)	समन्वयक
वन विभाग का अधिकारी (वृक्षारोपण कार्यों के लिए)	सदस्य
कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	सदस्य
उप संचालक, कृषि	सदस्य
जिला उद्यानिकी अधिकारी (बागवानी कार्यों के लिए)	सदस्य
परियोजना अधिकारी (महात्मा गांधी नरेगा)	सदस्य
लेखाधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संबंधित जनपद पंचायत/ कार्यक्रम अधिकारी (महात्मा गांधी नरेगा)	सदस्य

5.2- **जिला स्तरीय समिति की भूमिका एवं दायित्व-**

क. ग्राम सभा के अनुमोदन तथा जनपद स्तरीय तकनीकी एवं प्रशासनिक अधिकारी के निरीक्षण एवं जनपद स्तरीय अनुशंसा के आधार पर कार्यों को Close करने हेतु तैयार सूची को अंतिम रूप देना।

ख. जनपद/जिला स्तरीय न्यूनतम एक तकनीकी एवं न्यूनतम एक प्रशासकीय अमले द्वारा वित्तीय नियमो के पालन के संबंध में निरीक्षण सुनिश्चित कराना।

ग. समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा समीक्षा के बाद बंद किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों का 10% या 25 कार्य (जो भी कम हो) का निरीक्षण किया जाए, जिसमें सभी ब्लॉक शामिल हों, विशेषकर उच्च लागत वाले कार्य, जिससे वित्तीय नियमों के पालन का परीक्षण हो सके।

घ. निरीक्षण के दौरान जियो-टैग छायाचित्र लिए जाए और उन्हें दस्तावेजीकरण और पारदर्शिता के लिए NREGASoft में अपलोड किए जाए।

ङ. सत्यापन व समीक्षा के बाद बंद किए जाने वाले कार्यो के कार्य-वार प्रस्ताव स्वीकृत या अस्वीकृत किए जाए।

च. यदि कार्य की समीक्षा के बाद बंद किए जाने के लिए अनुपयुक्त पाए जाते हैं, तो संबंधितों के विरूद्ध वसूली और अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की जाए।

छ. समिति द्वारा कार्य-वार समीक्षा उपरांत बंद किए जाने वाले स्वीकृत कार्यों संबंधी दस्तावेजों को डीपीसी एडमिन लॉगिन के माध्यम से एमआईएस में अपलोड कराए जाए।

ज. आयुक्त, परिषद द्वारा आयुक्त लॉगिन के माध्यम से जिले द्वारा बंद करने हेतु प्रस्तावित किए गए कार्यो की स्वीकृति प्रदान की जाएगी, उक्त स्वीकृति उपरांत ही कार्यो को बंद कराया जा सकेगा।

6. समीक्षा के बाद कार्यों को बंद करना:

आपवादिक निम्न परिस्थितियों में मनरेगा के दिशा-निर्देशों कार्यो को समीक्षा उपरांत बंद किया जा सकेगा-

1) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कार्य, जिन्हें प्राक्कलन में संशोधन उपरांत भी पूरा नहीं किया जा सकता हो।

2) प्रगतिरत/सस्पेण्डेट कार्य जो बाद में स्थानीय विधिक कारणों से अव्यवहार्य हो गए हैं।

ऐसे सभी प्रकरणों में, लेखापरीक्षा और उचित औचित्य के लिए दस्तावेज और सत्यापन के रिकॉर्ड रखे जाएं। कार्यो को बंद करने के लिए प्रस्तावित सभी कार्यों को समिति को प्रस्तुत करने से पहले 100% कार्यस्थल निरीक्षण किया जाए। यह निरीक्षण ब्लॉक स्तर पर सहायक यंत्री/उपयंत्री और एपीओ द्वारा किया जाए और ग्राम सभा से विधिवत अनुमोदित कराया जाए। निरीक्षण के दौरान जियो-टैग सहित छायाचित्र लिए जाएं और नरेगा सॉफ्ट में अपलोड किए जाए। दस्तावेजीकरण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीणों के पंचनामा और ग्राम सभा प्रस्ताव को भी नरेगा सॉफ्ट में अपलोड किया जाए।

7. बिना भुगतान वाले बिल एवं मास्टर रोल को हटाना:-

क. पिछले वर्षों के बकाया बिल/मस्टर रोल/ आंशिक ट्रान्जिक्शन को, जिनका भुगतान नहीं किया जाना है, उन्हें डिलीट करना है।

ख. पिछले सालों के पेंडिंग वेज/मटेरियल लिस्ट को डिलीट करना जिनका भुगतान नहीं किया जाना है।

ग. सभी मदों के अंतर्गत बिना हस्ताक्षर वाले FTOs को हटाना।

घ. मजदूरी, सामग्री, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड मद के रिजेक्टेड ट्रान्जिक्शन को "Not to be paid" की श्रेणी में मार्क करना।

ङ. DPC एडमिन लॉगिन के तहत PO की रिपोर्ट के अनुसार पेंडिंग और अनपेड एन्ट्रीज के रिक्वेस्ट जिनका किसी खास कारण से पेमेन्ट नहीं किया जाना है ऐसी सभी रिक्वेस्ट को फायनल अप्रूवल के लिए कमिश्नर लॉगिन पर भेजना।

8. वसूली व जवाबदेही: अव्यवहार्य या अनुत्पादक कार्यों पर किए गए व्यय के संबंध में अधिकारियों/एजेंसी की जवाबदेही तय करते हुए संबंधितों से राशि वसूल की जाए। जहां जानबूझकर लापरवाही या गबन के कारण नुकसान हुआ हो, वहां वसूली सहित उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और उपरोक्तानुसार प्रक्रियाओं के अनुसार एमआईएस में कार्य बंद किया जाए। उक्त प्रकरणों में वसूल की गई राशि नियमानुसार निर्धारित खातों में जमा करायी जाए।

9. प्लानर साफ्टवेयर पर कार्य पूर्णता की जानकारी- प्लानर साफ्टवेयर में प्रगतिरत कार्यो को पूर्ण करने की कार्ययोजना तैयार करने हेतु प्रावधान किया गया है। प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायतवार प्रगतिरत कार्यो की जानकारी प्लानर साफ्टवेयर में उपलब्ध होगी। उक्त कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति का आंकलन कर प्रगतिरत कार्यो में से कार्यवार परीक्षण करते हुए विलोपित किए जाने वाले कार्य, भौतिक रूप से पूर्ण किए जाने वाले कार्य तथा ऐसे कार्य जिनकी सीसी अपलोड करना है, प्लानर साफ्टवेयर में उक्त कार्यो के लक्षित दिनांक सहित कार्यवार विवरण दर्ज किया जाए। उक्तानुसार प्लानर साफ्टवेयर पर ग्राम पंचायत स

तर से तैयार कार्ययोजना का जनपद पंचायत स्तर पर परीक्षण उपरांत अनुमोदित कार्ययोजना को जिला स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण व सत्यापन किया जाए। इस प्रकार जिला स्तरीय समिति से परीक्षण व सत्यापन की गयी कार्ययोजना प्लानर साफ्टवेयर के डेशबोर्ड पर उपलब्ध रहेगी, जिसमें माहवार कार्यपूर्णता केलेण्डर तथा प्रगति का विवरण उपलब्ध रहेगा, जिससे कार्यपूर्णता की समीक्षा की जा सके। प्लानर साफ्टवेयर में कार्य पूर्णता की कार्ययोजना तैयार करने संबंधी प्रक्रिया **परिशिष्ट-2** पर संलग्न है।

10. उपरोक्त अनुसार कार्यों को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण करने हेतु संबंधित अमले को परिषद स्तर से आवश्यक प्रशिक्षण प्रदाय किया जाएगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
Dinesh Jain
Date: 17-03-2026
18:10:28

(दिनेश जैन)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रतिलिपिः -

1. विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।
3. संभागीय आयुक्त, संभाग (समस्त), मध्यप्रदेश।
4. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा।
5. मुख्य अभियंता (समस्त), ग्रामीण यांत्रिकी सेवा परिक्षेत्र कार्यालय।
6. अधीक्षण यंत्री (समस्त), ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल कार्यालय।
7. कार्यपालन यंत्री (समस्त), ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (समस्त)।
9. गार्ड फाईल।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग